संदर्भ सं. राबैं. डॉस. प्रका/ **2834** / डीईएएफ़/ 2021-22
EC No. **198/DoS-18/2021** /DEAF/2021-22 21 अक्तूबर 2021

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	The Chairman/Chief Executive Officer/ Managing Director State Cooperative Banks/District Cooperative Banks/RRBs

महोदया/ महोदय

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए कृपया दिनांक 27 मई 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी. सं. डीईएएफ़ सेल. बीसी. 114/ 30.01.002/ 2013-14, दिनांक 7 फरवरी 2012 के परिपत्र सं. डीबीओडी. सं. लेग. बीसी. 81/ 09.07.005/ 2011-12 और दिनांक 2 फरवरी 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर. सं. डीईए निधि सेल. बीसी. 66/ 30.01.002/ 2014-15 का संदर्भ लें जिनमें दस वर्षों से अधिक अवधि के निष्क्रिय खातों के संदर्भ में रिकार्डों के रखरखाव और निधियों के अंतरण के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए थे. 2. जैसा कि दिनांक 27 मई 2014 के परिपत्र के अनुच्छेद सं. 02 में इंगित किया गया है, भारत में 10 वर्षों की अवधि से निष्क्रिय खाते में जमा राशि का दस वर्षों से अधिक अवधि के लिए दावा न की गई किसी जमाराशि को दस वर्ष समाप्त होने के बाद से तीन महीनों की अवधि के भीतर बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के डीईएएफ़ खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है. 3. योजना के अनुच्छेद सं. 5 के अनुसार बैंक द्वारा विधिवत् निर्धारित फॉर्म और समुचित रूप से लेखापरीक्षित विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिएं. बैंकों से अपेक्षित है कि वे ग्राहक-वार विवरण का भी रखरखाव करें जिनका सत्यापन संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा	**The Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014 – Section 26A of Banking Regulation Act, 1949** Please refer to the RBI circular Ref No. DBOD.No.DEAF Cell.BC.114/ 30.01.002/ 2013-14 dated May 27, 2014, circular DBOD.No.Leg.BC.81/09.07.005/2011-12 dated February 7, 2012 and circular DBR.No.DEA Fund Cell.BC.66/30.01.002/ 2014-15 dated February 2, 2015 wherein detailed instructions were issued in respect of maintenance of records and transfer of Funds with reference to inoperative accounts for more than ten years. 2. As mentioned in paragraph 02 of the circular dated 27 May 2014, the banks were required to remit to DEAF Account maintained by RBI, the amounts to the credit of any account in India which has not been operated upon for a period of ten years or any deposit or any amount remaining unclaimed for more than ten years within a period of three months from the expiry of ten years. 3. In terms of paragraph 5 of the Scheme, banks shall furnish returns duly audited to RBI in the form and manner prescribed. The Banks were

किया जाए और संगामी लेखापरीक्षकों से वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाए जिसमें समेकन की शुद्धता को प्रमाणित किया जाए तथा बैंक के वित्तीय विवरणों में यथोचित प्रकटन किया जाए.

4. दिशानिर्देशों में उल्लिखित समयावधि के लिए उपर्युक्त विवरणियों से संबंधित रिपोर्ट यदि शून्य भी हो तब भी बैंकों द्वारा अनिवार्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाएगी.

5. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949/ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 26(ए) के अंतर्गत दावा न की गई शेष राशियों का डीईएएफ़ में अंतरण सांविधिक आवश्यकता है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिशानिर्देशों का पालन न करने को नियामक के अनुदेशों का उल्लंघन माना जाएगा.

6. तथापि, नाबार्ड द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षणों के दौरान इंगित किए जाने के बावजूद उक्त अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:

i. बैंक के पास यथोचित राशि की पहचान करने, राशि की गणना और उसके अंतरण और भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित समयसीमा के भीतर विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए उचित व्यवस्था/ प्रक्रिया नहीं है.

ii. डीईएएफ़ खाते में राशि अंतरित करने से पहले दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक ग्राहक-वार विवरण, अंतरित राशि, ब्याज की गणना आदि का संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है.

iii. समेकन की शुद्धता को प्रमाणित करने से संबंधित वार्षिक प्रमाणपत्र सांविधिक लेखा

also expected to maintain customer-wise details which were to be verified by the concurrent auditors and the annual certificate be obtained from the statutory auditors and forwarded to RBI certifying the correctness of the compilation and make appropriate disclosure in the financial statements of the bank.

4. The Banks were to necessarily furnish the above returns, even if it is a nil return, to the RBI at the periodicity mentioned in the guidelines.

5. The transfer of unclaimed balances to DEAF is a statutory requirement under section 26 (A) of B. R. Act, 1949/B.R.Act, 1949 (AACS) and needless to say that non-adherence to the guidelines would be treated as violation of the instructions of the Regulator.

6. However, despite pointing out during the statutory inspections conducted by NABARD, the following deficiencies in complying to the provisions of Act ibid and RBI guidelines were noticed:

i. The banks do not have proper systems / procedure for identifying, calculating, and transferring the appropriate amount and furnishing the prescribed returns to RBI within the prescribed time and manner.

ii. The customer-wise details, amount transferred, calculation of interest, etc, required as per the guidelines are not verified by the concurrent auditor before

परीक्षकों से प्राप्त नहीं किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित नहीं किए गए. iv. वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटन नहीं किया गया और आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था. v. अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में पहचान किए गए एकल संपर्क बिन्दु व्यक्ति का विवरण अद्यतन नहीं किया गया है. vi. बैंक की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए अपेक्षानुसार राशियों को पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किया गया था. vii. बैंक की वेबसाइट आदि पर इस प्रकार के खातों का विवरण प्रदर्शित करना आदि. 7. चूँकि संवैधानिक प्रावधानों के लगातार और जानबूझ कर उल्लंघन को नियामक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, यह दोहराया जाता है कि बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्रों में निहित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 और 26 ए के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें. 8. कृपया आपके राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भिजवाएँ.	transferring the amount to DEAF account. **iii.** Annual Certificates, certifying the correctness of the compilation were not obtained from the statutory auditors and forwarded to RBI. **iv.** Proper disclosures were not made in the financial statements and required contingent liabilities were not provided for **v.** Details of single contact point person are not updated upon superannuation, voluntary retirement or death of the identified person. **vi.** The amounts were not transferred in full as required citing Bank's financial position **vii.** Display of such accounts in the website of the Bank, etc. 7. Since persistent and willful violation of the statutory provisions would be viewed seriously by the regulators, we reiterate that the banks may follow the instructions contained in the RBI Circulars *ibid* scrupulously and comply with the provisions of Sections 26 and 26A of the B R Act 1949 in toto. 8. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office in your State/UT.

भवदीय
हस्ता/-
(के एस रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीयकृषिऔरग्रामीणविकासबैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉटक्रसी-24,'जी' ब्लॉक,बांद्रा-कुर्लाकॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ईमेल:dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org